14—आडिट

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	उत्तराखण्ड में आडिट प्रकिया के प्रभावी सम्पादन हेतु आडिट मैनुअल (दिशा--निर्देशों का संकलन) 2011 लागू किया जाना।	सं0:—275/xxvii(7)/2011 दिनांकः 29 नवम्बर, 2011	233—238
2	उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012	सं0:—166/xxxvi(3)/2012/20(1)/2012 दिनांकः 08 जून, 2012	239—264
3	उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2012	सं0:—169/xxxvi(3)/2012/25(1)/2012 दिनांकः 08 जून, 2012	265—268
4	लेखा परीक्षा कराये जाने के लिये आडिटी की अनुसूची को विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना	सं0 :— 495/xxvii (11)/2012 दिनांक : 26 नवम्बर, 2012	269—282

उत्तराखण्ड शासन,
वित्त अनुभाग–7
संख्या:-275/xxvii(7)/2011
देहरादून: दिनांक: 29 नवम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड में आडिट प्रकिया के प्रभावी सम्पादन हेतु श्री राज्यपाल महोदय आडिट मैनुअल (दिशा–निर्देशो का संकलन) 2011 लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। आडिट से सम्बन्धित सर्वोत्तम कार्यप्रणाली (best practices) को समाहित करते हुए यह संकलन बनाया गया हैं। इस संकलन में आडिट प्रकिया, रिपोर्टिंग तथा अनुश्रवण/समाधान के अध्याय, आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्यो, बजट प्रक्रिया, अधिप्राप्ति नियमावली, स्टोर, आय व व्यय, स्थापना (जी0पी0एफ0 पेंशन आदि), केन्द्र पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं, विभिन्न अग्रिमों तथा कम्प्यूटरीकृत सिस्टम के आडिट हेतु मार्गदर्शक/जोखिम बिन्दु (check/risk points) विस्तार से इंगित किये गये हैं। प्रत्येक विभाग की अपनी एक विशेषज्ञता और जटिलता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में सामान्य अध्यायों के अतिरिक्त विभागों जैसे विद्यालयी शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पशुधन प्रोजेक्ट प्रबन्धन, कृषि, वन, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई, खाद्य, कोषागार, वाणिज्यकर, रजिस्ट्रेशन विभागों सार्वजनिक उपकमों के लिए सामान्य बिन्दुओं के अतिरिक्त विशिष्ट आडिट मार्गदर्शक/जोखिम बिन्दु (check/risk points) बनाये गये हैं तथा आडिट से सम्बन्धित अधिकारियों के कर्तव्य दिये गये हैं। संकलन आडिट कार्मिकों की व्यावसायिक प्रवीणता में गुणात्मक अभिवृद्धि करेगा, साथ ही विभागीय कार्मिकों के लिये मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

यह संकलन पूर्व में जारी विभिन्न आडिट प्रकियाओं विषयक दिशा–निर्देशों/नियम संग्रहों को प्रतिस्थापित करेगा।

यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(आलोक कुमार जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-275/xxvii(7)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त ज़िलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें एवं सह स्टेट इन्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव।

उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012

[उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2012]

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	संक्षित नाम, विस्तार और प्रारम्भ	2
2.	परिभाषाएं	2—4
3.	निदेशक और अन्य लेखा परीक्षा अधिकारियों का संगठन	4
4.	लेखा, जिसकी परीक्षा की जायेगी और लेखा परीक्षा फीस का भुगतान का निर्धारण	4—5
5.	लेखा परीक्षा के लिये अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाना	5
6.	अभिलेख प्रस्तुत करने और व्यक्तियों से उपस्थित होने के लिये आडिट दल की अपेक्षा करने की शक्ति	5—6
7.	धारा 6 के अधीन अधियाचन की अवज्ञा करने के लिए शास्ति	6
8.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम्बद्ध आडिटी और कुछ अन्य अधिकारियों और निकायों को भेजी जायेगी	7
9.	धारा 8 के अधीन निदेशक की रिपोर्ट के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया	7—8
10.	निदेशक द्वारा अवैध भुगतान या घोर उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुई हानि पर अधिभार लगाया जाना	9—10
11.	अधिभार के आदेश के विरूद्ध अपील	10
12.	भू—राजस्व के बकाये के रूप में प्रभार की वसूली	10
13.	प्रभार आदि का भुगतान	10
14.	निदेशक, आडिट दल, आदि लोक सेवक होंगे	10
15.	वाद पर रोक	10
16.	सद्भाव से किए गये कार्यों का संरक्षण	11
17.	आडिट दल द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण	11
18.	विविध	11—12
19.	अपवाद	12
20.	नियम बनाने की शक्ति	12—13
21.	निरसन और अपवाद	13

THE UTTARAKHAND AUDIT ACT, 2012

[Uttarakhand Act No. 02 of 2012]

INDEX

Sections	Particulars	Page No.
1.	Short title, extent and commencement	14
2.	Definitions	14—16
3.	Constitution of Director and other Audit Officers	16—17
4.	Accounts subject to audit and payment of audit fees	17
5.	Production of Records for Audit	17
6.	Power of Auditor to require production of records and attendance of persons	18—19
7.	Penalty for disobeying under section 6	19
8.	Audit report to be sent to the Head of the Department, Head of the Office, Drawing and Disbursing Officer (with Local bodies, Cooperative, Panchayat Audit) and certain other officers and bodies	19—20
9.	Procedure to be followed after report of the Director under section 8	20—21
10.	Director to surcharge illegal payment or loss caused by gross negligence or misconduct	22—23
11.	Appeal against order of surcharge	23
12.	Recovery of charges as arrears of land revenue	23
13.	Payment of charges etc.	23
14.	Director, Auditor etc. to be public servant	24
15.	Bar of suits	24
16.	Protection for acts done in good faith	24
17.	Inspections of records by the Auditors	24
18.	Miscellaneous	25
19.	Savings	25
20.	Power to make rule	25—26
21	Repeal and saving	26

क्रम संख्या–105

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०–30/2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 08 जून, 2012 ई०

ज्येष्ठ 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 166/XXXVI(3)/2012/20(1)/2012

देहरादून, 08 जून, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विधेयक, 2012"** पर दिनांक 07 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02 वर्ष, 2012 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2012}

उत्तराखण्ड राज्य में सभी सरकारी, विभागों, सार्वजनिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, प्रतिष्ठानों, साविधिक प्राधिकरणों, पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिकाओं/नगरीय स्थानीय निकायों, सरकारी समितियों की लेखा परीक्षा की व्यवस्था करने और उसको विनियमित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में,–

(क) **"लेखा परीक्षा"** के अन्तर्गत समवर्ती लेखा परीक्षा, टैस्ट आडिट, शत प्रतिशत लेखा परीक्षा और विशेष लेखा परीक्षा तथा धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों द्वारा लेखा का निरीक्षण सम्मिलित है;

(ख) **"निदेशक"** से धारा 3 के अधीन नियुक्त निदेशक, लेखा परीक्षा (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा तथा सहकारिता/पंचायत लेखा परीक्षा को सम्मिलित करते हुए) उत्तराखण्ड अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा अधिकारी भी है, जिसे उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन निदेशक की शक्तियां प्रदत्त की गयी हो;

(ग) **"लेखा परीक्षक"** के अन्तर्गत उसकी सहायता के लिये धारा 3 के अधीन नियुक्त निदेशक और समस्त अन्य अधिकारी भी है;

(घ) **"स्थानीय प्राधिकारी"** से नगरपालिका या नगर निगम, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, क्षेत्र समिति, गांव सभा या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे स्वायत शासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनार्थ गठित किया गया हो या जो नगर पालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबन्ध करने के लिये विधिमान्य रूप से हकदार हो या जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा कार्य सौंपा गया हो और इसके अन्तर्गत निगमित या गैर–निगमित कोई सोसाइटी, निकाय या संस्था भी है, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश से स्थानीय प्राधिकारी सूचित किया गया हो;

(ङ) **"विशेष लेखा परीक्षा"** से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के ऐसे लेखा या किसी विनिर्दिष्ट लेखा मद या मदों की श्रेणियों की, जिसमें सर्वांगीण जांच की आवश्यकता है, परीक्षा अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार के आदेश से या विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी (स्थानीय निकाय/सहकारिता/पंचायत लेखा परीक्षा को सम्मिलित करते हुए) के अनुरोध पर की जाए;

(च) **"सांकेतिक लेखा परीक्षा"** से प्रतिवर्ष के वार्षिक लेखा की सामान्य समीक्षा सहित ऐसी लेखा परीक्षा अभिप्रेत है, जो वर्ष के किसी एक या अधिक मास के, जिसका चयन लेखा दल द्वारा अतर्कित रुप से किया जाये;

(छ) **"संवर्ती लेखा परीक्षा"** से समय–समय पर दिन प्रतिदिन के लेखा के कार्योत्तर लेखा परीक्षा और लेखा की सामान्य समीक्षा अभिप्रेत है;

(ज) **"शत प्रतिशत लेखा की परीक्षा"** से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के विशिष्ट लेखा के समस्त संव्यवहारों की कार्योत्तर लेखा परीक्षा अभिप्रेत है;

(झ) **"विहित प्राधिकारी"** से किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कोई अधिकारी या निगमित निकाय अभिप्रेत है;

(ञ) **"स्थानीय निधि"** से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–दो, भाग दो से चार और खण्ड–पांच, भाग–एक में परिभाषित स्थानीय निधि अभिप्रेत है;

(ट) **"अभियाचन"** से स्थानीय प्राधिकारी की लेखा परीक्षा और या उसके निरीक्षण के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित/अधिकृत अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण/सूचना अभिलेख मांगे जाने के लिये निर्गत किये गये पत्र अभिप्रेत है;

(ठ) **"धारा"** से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(ड) **"राज्य सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) **"मुख्य सचिव"** से मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है;

(ण) **"प्रशासकीय विभाग"** से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है;

(त) **"वित्त विभाग"** से वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है;

(थ) **"वर्ष"** से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(द) **"पुस्तक हस्तान्तरण"** यह वित्तीय संव्यवहारों के ऐसे प्ररूपों पर लागू होता है, जिसमें नगद अथवा गैर–नगद लेखाओं की प्राप्ति जारी किया जाना सम्मिलित नहीं है। ऐसे संव्यवहार सामान्यतया सरकार के दायित्व एवं आस्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो परिनिर्धारण के लिए लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं अथवा किसी अन्य कारणों के लिए किन्तु वे शुद्धियों अथवा संशोधनों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि लेखे में पूर्व में ही

लिए जा चुके हैं और सम्बन्धित नगद, कर्मचारिवृन्द अथवा पुस्तकों के अन्तरण से सम्बन्धित है;

(ध) **"सरकारी सेवक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कि सरकारी सेवा में हो तथा इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले वे व्यक्ति आते है, जिनकी सेवा शर्तों को राज्यपाल द्वारा **'भारत का संविधान'** के अनुच्छेद 309 के अधीन विहित किया जाता है;

(न) **"कार्यालयाध्यक्ष"** से कार्यालय का वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है;

(प) **"विभागाध्यक्ष"** से एक ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो कि राज्य सरकार द्वारा उद्घोषित किया गया हो,

(फ) **"आडिटी"** से ऐसा विभाग, कार्यालय अभिप्रेत है, जिसका आडिट हो रहा है जैसे– विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, आहरण एवं वितरण अधिकारी (स्थानीय निकाय, सहकारिता, पंचायत लेखा परीक्षा को सम्मिलित करते हुए)।

निदेशक और अन्य लेखा परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

3. (1) लेखा परीक्षा कार्य को सम्पादित करने के लिए एक संगठनात्मक ढांचा बनाया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जो उसके द्वारा अवधारित किये जायं, निदेशक और प्रत्येक ऐसे अधिकारी को और उनके कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकती है।

(3) नियुक्त व्यक्ति ऐसे क्षेत्र के भीतर, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें, ऐसे शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त किये जायं।

(4) राज्य सरकार, किसी अधिकारी को, जो प्रथम श्रेणी अधिकारी से निम्न न हो, को निदेशक की शक्तियां प्रदत्त की जा सकती है।

(5) विभिन्न विभागों में आंतरिक लेखा परीक्षा को वित्त विभाग में केन्द्रीयकृत (सेन्ट्रलाइज्ड) किया जायेगा तथा विशिष्ट विभागों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जायेगा।

(6) राज्य सरकार किसी अर्ह कम्पनी, फर्म तथा संस्था/सोसाईटी से आउट सोर्सिंग के माध्यम से आडिट करा सकती है।

लेखा, जिसकी परीक्षा की जायेगी और लेखा परीक्षा फीस का भुगतान का निर्धारण

4. (1) राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा आडिटी को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिनकी लेखा परीक्षा की जानी है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर, ऐसे आडिटी के लेखा की परीक्षा पूर्णतया, ऐसी किसी अधिनियमित में, जिसके द्वारा या अधीन आडिटी का गठन किया

गया है या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

(2) आडिटी, जिसके लेखा की परीक्षा की जानी हो, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार निर्धारित दर पर लेखा परीक्षा फीस का भुगतान करेगा।

(3) राज्य सरकार, समय–समय पर आवश्यक्तानुसार मानव दिवस हेतु शुल्क का निर्धारण/पुनर्निर्धारण कर सकती है। सम्पादित लेखा परीक्षा के लिये शुल्क की गणना लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित मानव दिवस के आधार पर होगी।

लेखा परीक्षा के लिये अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाना

5. आडिटी, जिसकी लेखा की परीक्षा की जानी है, लेखा परीक्षा के लिये सभी लेखा विवरणियां, रजिस्टर, पत्रावलियां, और पत्राचार या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज का, जिनकी आडिट दल द्वारा मांग की जाय, प्रस्तुत करेगा या करायेगा।

अभिलेख प्रस्तुत करने और व्यक्तियों से उपस्थित होने के लिये आडिट दल की अपेक्षा करने की शक्ति

6. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी लेखा–परीक्षा के प्रयोजनार्थ कोई आडिट दल–

(क) आडिटी से ऐसे वाउचर विवरणी, लेखा, रजिस्टर, पत्रावली और पत्राचार या लेखा के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज, जिसे आडिट दल प्रभारी उचित समझे, ऐसे स्थान पर जहाँ आडिट दल निदेश दे निर्दिष्ट युक्तियुक्त के समय के भीतर प्रस्तुत करने या कराने की लिखित रूप में अपेक्षा कर सकता है;

(ख) लिखित रूप में–

(एक) आडिटी के किसी ऐसे वेतनिक सेवक से जो ऐसे वाउचर विवरणी, लेखा, रजिस्टर, पत्रावली और पत्राचार या अन्य दस्तावेज के लिये उत्तरदायी हों या जिसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में वे हों, स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है; या

(दो) ऐसे व्यक्ति से, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आडिटी के अधीन किसी कार्य में कोई अंश या हित हो या ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसकी उपस्थिति किसी कठिनाई या परिस्थिति की स्पष्ट करने के लिये आवश्यक हो, स्वयं या किसी प्राधिकृति अभिकर्ता के माध्यम से, आदेश में निदेशित स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होने और किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये अपेक्षा कर सकता है;

(ग) आडिटी के अधीन अधिकारी से ऐसे स्थान पर, जहां लेखे की परीक्षा की जा रही हो या ऐसे अन्य स्थान पर जहां आडिट दल निदेश दे, उससे मिलने और उस बिन्दु को जिस पर स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, लिखित रूप में विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) लेखापरीक्षक, उपधारा (1) के अधीन भेजे गये किसी अधियाचन या सूचना में युक्ति–युक्त अवधि निर्धारित कर सकता है, जो कम से कम तीन दिन की होगी, जिसके भीतर उक्त अधियाचन या सूचना का पालन किया जायेगा।

(3) लेखापरीक्षक, आडिटी को जिसके लेखा की परीक्षा की जानी हो, जिस दिनांक से लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने का उसका प्रस्ताव हो, उसकी सूचना कम से कम दो सप्ताह पूर्व लिखित रूप में देगा :

परन्तु यह कि लेखापरीक्षक अल्पावधि की सूचना देकर या कोई सूचना दिये बिना, उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए लेखा–परीक्षा राज्य सरकार या निदेशक के निदेश पर प्रारम्भ कर सकता है।

(4) लेखापरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राधिकार होगा :–

(क) आडिटी के, लेखों का निरीक्षण करना, जिसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों यथा नकद, मूल्यवान वस्तुओं और स्टोर का भौतिक सत्यापन भी है;

(ख) यह अपेक्षा करना कि ऐसा कोई रजिस्टर, वही, पत्रादि और अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहार से, जिसकी लेखा परीक्षा करना उसकी सीमा में आता हो, सम्बन्धित या उसका आधार पर हो या अन्यथा उससे सुसंगत हो, ऐसे स्थान पर और ऐसे दिनांक को जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करे, भेज दिये जांय;

(ग) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछना या ऐसी टिप्पणी करना, जिसे वह आवश्यक समझे और ऐसी सूचना मांगना, जिसे वह लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये या किसी लेखा या रिपोर्ट को, जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है, तैयार करने के लिये अपेक्षा करें।

धारा 6 के अधीन अधियाचन की अवज्ञा करने के लिए शास्ति

7. धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या उपधारा (4) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन विधिपूर्वक की गयी किसी अभिलेखों की अधियाचना की जान बूझकर उपेक्षा करना या उसका पालन करने से इन्कार करने को संदिग्ध सत्यनिष्ठा का प्रकरण माना जायेगा एवं जो व्यक्ति विधिपूर्वक की गयी किसी अभिलेखों की अधियाचना की जान बूझकर उपेक्षा करता या उसका पालन करने से इन्कार करता है के विरूद्ध लागू सेवाशर्तों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम्बद्ध आडिटी और कुछ अन्य अधिकारियों और निकायों को भेजी जायेगी

8\. (1) लेखा परीक्षा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से लेखा परीक्षा का परिणाम ऐसे प्रपत्र में और ऐसा विवरण देते हुए, जैसा विहित किया जाय, निम्नलिखित दो भागों, में आडिटी के प्रमुख अधिकारी को संसूचित किया जायेगा; अर्थात्–

(क) सामान्य और महत्वपूर्ण विषयों पर जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उन का विवेचन करने वाली लेखा परीक्षा और निरीक्षण टिप्पणी; और

(ख) आपत्तियों का विवरण पत्र, जिसमें गौंण और प्राविधिक अनियमितताओं से सम्बन्धित अशोधित आपत्तियाँ दी गई हों।

(2) लेखा परीक्षा और निरीक्षण टिप्पणी की प्रतियां ऐसे अधिकारियों और प्राधिकारियों को भी भेजी जायेंगी, जिन्हें निदेशक द्वारा आवश्यक समझा जाये।

(3) निदेशक लेखा की एक संहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा या करायेगा और उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजेगा।

धारा 8 के अधीन निदेशक की रिपोर्ट के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रकिया

9\. (1) धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आडिटी का प्रमुख अधिकारी तत्काल कार्यवाही करेगा और उसमें उठाये गये प्रत्येक बिन्दु पर एक मास के भीतर उत्तर लेखबद्ध करेगा, जिसमें उस बिन्दु पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही दर्शित होगा। तत्पश्चात् लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी पर समयबद्ध आडिटी की विशेष बैठक में, जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर होगी, विचार किया जायेगा और विनिश्चय किया जायेगा।

(2) आडिटी को यह देखना होगा कि लेखा परीक्षा टिप्पणी और आपत्तियों के विवरण–पत्र में इंगित त्रुटियों और अनियमितताओं का निवारण या निपटारा शीघ्रता और सम्यक् रूप से तत्परता से कर दिया जाय।

(3) आडिटी की टिप्पणी और प्रत्येक बिन्दु पर आडिटी के विनिश्चय सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणीयुक्त प्रति निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को उपधारा (1) में निर्दिष्ट बैठक होने के एक मास के भीतर भेजी जायेगी। टिप्पणीयुक्त प्रति में प्रत्येक पैरा के सामने अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी पदधारी का नाम और उनके विरूद्ध की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही दर्शित की जायेगी। लेखा परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में आगे पत्र–व्यवहार सीधे आडिटी और निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के बीच किया जायेगा।

(4) आडिटी की टिप्पणी और आडिटी के विनिश्चय सहित लेखा परीक्षा की टिप्पणीयुक्त प्रति प्राप्त होने पर, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी रिपोर्ट में चर्चित

समस्त या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में –

(क) आडिटी द्वारा की गयी कार्यवाही को स्वीकार कर सकता है और आपत्तियों का निपटारा कर सकता है; या

(ख) निदेश दे सकता है कि विषय पर अतिरिक्त अन्वेषण अगली लेखा परीक्षा में या किसी और पूर्वतर दिनांक को किया जाय; या

(ग) यह धारण कर सकता है कि रिपोर्ट में इंगित त्रुटियों या अनियमितताओं या उनमें से किसी का निराकरण या प्रतिकार नहीं किया गया है।

(5) (क) यदि यह धारणा है कि रिपोर्ट में इंगित आडिटी के लेखा की किसी त्रुटि या अनियमितता का निराकरण या प्रतिकार युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं किया गया है तो निदेशक ऐसे मामले को विहित प्राधिकारी और राज्य सरकार की जानकारी में विशेष रूप से लायेगा और राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी कार्यवाही का निदेश दे सकती है, जो आवश्यक समझी जाय;

(ख) लेखा परीक्षा कार्य में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, प्रशासकीय विभाग तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर आडिट कमेटी का गठन किया जायेगा। गठित आडिट कमेटी की नियमित रूप से बैठक आयोजित करके प्राप्त आडिट रिपोर्टों का रिव्यू किया जायेगा। सरकारी धन के दुरूपयोग, गबन, जालसाजी, जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, ताकि दोषी व्यक्तियों को समय से दण्डित किया जा सके;

(ग) यदि कमेटी के समाने आडिट रिपोर्ट में सरकारी धन के दुरूपयोग (Misappropriation) के प्रकरण सामने आते हैं, तो उनकी छानबीन कर उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी। राजकीय धन की क्षति की तुरन्त वसूली किये जाने के प्रयास किये जायेंगे। कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत कराया जायेगा;

(घ) आडिटी लेखा–परीक्षा आपत्तियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों के निपटारे में हुई प्रगति पर सतर्क होकर नजर रखेंगे और प्रशासकीय विभाग द्वारा उस सम्बन्ध में, जो भी सूचना मांगी गई हो उसे तुरन्त भेजेंगे;

(ङ) विभाग में विचाराधीन सभी लेखा परीक्षा आपत्तियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों के निस्तारण के लिये विभागीय अधिकारियों की नियत कालिक बैठकें भी बुलाई जायेगी और उनके परिणाम से प्रशासकीय विभाग को अवगत कराया जायेगा।

निदेशक द्वारा अवैध भुगतान या घोर उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुई हानि पर अधिभार लगाया जाना

10. (1) यदि सम्बद्ध व्यक्ति को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि आडिटी के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग अपचारी व्यक्ति के दुराचरण या उसकी ओर से घोर उपेक्षा के कारण हुआ है, या यह कि उक्त व्यक्ति ऐसा पक्ष है, जो अवैध भुगतान करता है या ऐसा भुगतान करने के लिये प्राधिकृत करता है, तो निदेशक, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह आडिटी को विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व ऐसी धनराशि, जो आडिटी को उसके धन या सम्पत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग की प्रतिपूर्ति करने के लिये न्याय संगत और साम्यपूर्ण पायी जाय, उस पर ब्याज सहित भुगतान करें ;

परन्तु यह कि किसी आडिटी के किसी प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन अधिभार का कोई आदेश ऐसे धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग होने के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके आडिटी के प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चातवर्ती हो, नहीं दिया जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग किसी आडिटी या उसकी किन्हीं समितियों या उप समितियों के किसी संकल्प के परिणामस्वरूप हुआ हो तो वसूल की जाने वाली हानि की धनराशि को समस्त सदस्यों में, जिसके अन्तर्गत ऐसे पदाधिकारी भी हैं, जिनके सम्बन्ध में आडिटी या उसकी समितियों या उपसमितियों के कार्यवृत्त में यह सूचना हो कि उन्होंने ऐसे संकल्प के सम्बन्ध में मत दिया था या वे तटस्थ रहे, बराबर–बराबर बांट दिया जायेगा :

परन्तु यह भी कि अतिक्रमित स्थानीय निकायों/सहकारिता/पंचायत लेखा परीक्षा की स्थिति में यदि धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग प्रशासक या प्रभारी अधिकारी की जो सरकारी सेवक हो, किसी कार्यवाही के कारण हुआ हो तो मामले की सूचना निदेशक द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये दी जायेगी :

परन्तु यह और भी कि किसी मृत अपचारी व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की सम्पत्ति की उस सीमा तक होगा, जो ऐसे विधिक प्रतिनिधि को प्राप्त हुई हो।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय की एक प्रति दी जाय, उसे लेने से इन्कार करे तो यह समझा जायगा कि उसने उस दिन प्राप्त कर लिया है, जिस दिन उसने प्रति लेने से इन्कार किया था।

(3) यदि वह अन्तिम आदेश के समय उपलब्ध न हो तो उसके प्रवर्ती भाग सहित उसका सारांश उसके अन्तिम ज्ञात् पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेज दिया जायेगा या उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर चिपका दिया जायगा और उस परिक्षेत्र में डुग-डुगी पिटवाकर उसकी उद्घोषणा की जायगी और इससे यह उपधारणा की जायगी कि उसे सम्यक् रूप से तामील किया गया है।

अधिभार के आदेश के विरूद्ध अपील

11. (1) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को विहित रीति से अपील कर सकता है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई करते समय ऐसी प्रकिया का अनुसरण करेगी, जैसी विहित की जाय।

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त अपील पर दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

भू-राजस्व के बकाये के रूप में प्रभार की वसूली

12. यथास्थिति, धारा 10 या धारा 11 के अधीन अधिभार के आदेश में उल्लिखित धनराशि का भुगतान अधिभारित व्यक्ति द्वारा आदेश के दिनांक से साठ दिन के भीतर किया जायगा और यदि उसका भुगतान नहीं किया जाय तो उसे निदेशक के आवेदन-पत्र पर कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायगा और आडिटी की निधि में विहित रीति से जमा किया जायगा।

प्रभार आदि का भुगतान

13. धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आडिट दल द्वारा या धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन निदेशक द्वारा की गयी किसी अधियाचन के अनुपालन में आडिटी द्वारा किया गया समस्त व्यय उस आडिटी की निधि से देय होगा।

निदेशक, आडिट दल, आदि लोक सेवक होंगे

14. निदेशक और उसके अधीन कार्यरत और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले या प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी और आडिट दल भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होंगे।

वाद पर रोक

15. जैसा कि इस अधिनियम में उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा विधिक रूप से दिये गये किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जायेगा या अन्य कार्यवाही नहीं की जायगी।

सद्भाव से किए गये कार्यों का संरक्षण

16\. राज्य सरकार, निदेशक या किसी अन्य अधिकारी, आडिट दल या निदेशक के अधीनस्थ कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किया गया हो या किये जाने के लिये तात्पर्यित हो।

लेखापरीक्षक द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण

17\. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों में से ऐसे व्यक्तियों को आडिट अधिकारी, आडिट प्रभारी नियुक्त कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझें और उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमायें परिनिश्चित कर सकती है।

(2) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए कोई अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर--

(क) निदेशक, लेखापरीक्षक या लेखा परीक्षा की कार्यवाहियों के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति के आदेश से उचित समय पर सर्वदा किसी परिसर या स्थान में सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की ऐसी सहायता से यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे और जो निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमोदित हो, लेखा परीक्षा की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किसी रजिस्टर या अभिलेख या पत्रादि की जांच करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण के लिये उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) सूचना प्राप्त करने के लिये उसी स्थल पर किसी व्यक्ति से प्रतिप्रश्न कर सकता है;

(ग) अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसे अभिलेख या पत्रादि को, जो आवश्यक हो, अभिग्रहीत कर सकता है या उनकी प्रतियाँ ले सकता हैं या उन पर हस्ताक्षर कर सकता है;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो विहित की जांय।

विविध

18\. इस अधिनियम के अधीन किसी परीक्षा या लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये निदेशक या आडिट दल और अपील के प्रयोजन के लिये अपील प्राधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात--

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कमीशन जारी करना;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाय।

अपवाद

19. (1) अधिभार से सम्बन्धित किसी ऐसी कार्यवाही का, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विचाराधीन हो, निस्तारण और किसी ऐसी कार्यवाही में पारित आदेश का प्रवर्तन, उस विधि के अनुसार इस प्रकार किया जायगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं थे।

(2) जैसा कि उपधारा (1) में उपबन्धित है उसके सिवाय, ऐसे किसी आडिटी के सम्बन्ध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अधिभार से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न और निस्तारित की जायंगी।

नियम बनाने की शक्ति

20. (1) राज्य सरकार, लेखा सम्परीक्षा कार्य में सम्बद्ध स्टाफ को लेखा सम्परीक्षा की अवधारणा के आवश्यक और उसके संचालन के व्यवहारिक ज्ञान से सज्जित कर सरकार में आन्तरिक लेखा सम्परीक्षा के उन्नयन और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम/मैनुअल बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्–

(क) ऐसे आडिटी को, जिसके लेखा की परीक्षा निदेशक द्वारा की जानी है, अधिसूचित करने का कार्य विनियमित करना;

(ख) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन लेखा परीक्षा के लिये आडिटी द्वारा भुगतान की जाने वाली लेखा परीक्षा फीस की दर और उसके भुगतान और उसकी वसूली की रीति;

(ग) प्रपत्र, जिसमें और रीति, जिसके अनुसार लेखा सम्परीक्षा के लिये प्रस्तुत किया जायगा;

(घ) आडिट दल को शक्तियां और कर्तव्य और लेखा परीक्षा करने के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रकिया और वह समय जब और स्थान जहाँ पर ऐसी लेखा परीक्षा की जायगी;

(ङ) निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य;

(च) अधिभार के सम्बन्ध में जांच, अपली और वसूली;

(छ) आडिट दल द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण।

निरसन और अपवाद 21. (1) उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1984) (उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 166/XXXVI(3)/2012/20(1)/2012
Dated Dehradun, June 08, 2012

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Audit Act, 2012' (Adhiniyam Sankhya 02 of 2012).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 June, 2012.

(o) **"Administrative Department"** means concerned Administrative Department of Government of Uttarakhand;

(p) "**Finance Department"** means Finance Department of Government of Uttarakhand.

(q) **'Year'** means a financial year;

(r) The word **"Book Transfer"** applies to such forms of financial transactions that do not include issuing of receipt of cash or non-receipt accounts. Such transactions normally represent the liabilities and assets of the Government, which are presented to the accounts for settlement or for any other reasons but they also represent corrections and amendments, which have already been taken into account and are related to transactions concerning cash, staff or transfer of books;

(s) **"Government Servant"** means a person who is employed in a Government service and includes persons serving under State Government whose service conditions are prescribed by the Govemor under Article 309 of 'the Constitution of India';

(t) **"Head of the Office"** means the senior most gazetted officer of the office;

(u) **"Head of the Department"** means an authority declared so by the State Government;

(v) **"Auditee"** means the department/office whose audit is being conducted, such as Head of the Department, Head of the Office, Drawing and Disbursement officer (including local body, co-operative, Panchayat audit);

Appointment of Director and other Audit Officers

3. (1) An organizational structure shall be constituted for performing the Audit Work.

(2) The State Government may, on such terms and conditions as may be determined by it, appoint the Director, and every such officer, and may make provisions with regard to the appointment and conditions of service of their staff.

(3) The persons appointed in such area, as the appointing authority may specify, exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on them by or under this Act.

(4) The State Government may, by notification, confer upon the powers of the Director to any officer not below the rank of a Class I officer.

(5) The Internal Audit in various Departments shall be centralized within the Finance Department and shall be outside the purview of individual departments.

(6) The State Government may permit to conduct audit through out-sourcing from any eligible Firm, Company or Institution, Society.

Accounts subject to audit and payment of audit fees

4. (1) The State Government may, from time to time, by notification, specify the auditee, accounts of which are to be audited.

(2) On the issue of notifications under sub-section (1), the accounts of auditee, shall, notwithstanding anything contained in any enactment by or under which such auditee is constituted or any rules made there under, be subject to audit in manner provided by or under this Act.

(3) The auditee, whose accounts are to be audited, shall be liable to pay audit fees at the rates fixed by the State Government from time to time.

(4) The State Government, from time to time, may determine or re-determine the fees for man-days as per requirements. The calculation of fees for conducted audit shall be made on the basis of man-days prescribed for the audit.

Produc[illegible]

5. The auditee, whose accounts are subject to audit, shall produce or cause to be produced all accounts, returns, registers, files and correspondence or any other documents as may be demanded by the auditors, for audit.

Power of Auditor to require production of records and attendance of persons

6. (1) For the purpose of any audit under this Act, the auditors may –

(a) require the auditee, in writing, to produce or cause to be produced such vouchers, returns, accounts, registers, files and correspondence or any other voucher documents in relation to accounts, as the auditors may think fit, at such place as the auditors may direct at and within a given reasonable time.

(b) Require in writing –

(i) any salaried servant of the auditee, accountable for, or having the custody of or control of, such vouchers, returns, accounts, files and correspondence or other documents to appear in person; or

(ii) may direct any person having directly or indirectly any share or interest in any work under the auditee or any person whose presence is deemed necessary for explaining any difficulty or circumstances to appear in person or by an authorised agent before him, at the place directed in the order and answer any question;

(c) require the officer under auditee, to meet them at a place, where the audit of the account is being conducted or such other place, as the auditor may direct, and specify in writing the point on which the explanation is required.

(2) The auditor may, in any requisition or intimation sent under sub-section (1) fix a reasonable period not being less than three days within which the said requisition or intimation shall be complied with.

(3) The auditor shall give auditee whose accounts are to be audited not less than two weeks notice in writing of the date on which he proposes to commence the audit :

Provided that the auditor may, on direction by the State Government or the Director, start the audit by giving a shorter notice or without giving any notice recording the reasons thereof in writing.

(4) The Auditor shall, in connection with the performance of their duties under this Act, have authority: -

(a) to inspect the accounts of auditee including physical verification of assets, such as cash, valuables and stores;

(b) to require that any registers, books, papers and other documents which deal with or form the basis of or are otherwise relevant to the transactions to which their duties in respect of audit extend, shall be sent to such place and on such dates as they may appoint for their inspection;

(c) to put such queries or make such observations as they may consider necessary, to the person in-charge of the office and to call for such information as they may require for the purpose of the audit or the preparation of any account or report which is their duty to prepare.

Penalty for disobeying under section 6

7. Act of willful negligence or refusal to comply with any requisition of records lawfully made under clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-section (1) or clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-section (4) of section 6 shall be a case of doubtful integrity and the person who so willfully neglects or refuse to comply with requisition of records lawfully made shall be liable to disciplinary actions under the service rules applicable.

Audit report to be sent to the Head of the Department, Head of the Office, Drawing and Disbursing officer (with Local bodies, Co-operative, Panchayat Audit) and certain other officers and bodies

8. (1) As soon as practicable after completion of the audit, the result of audit shall be communicated to the Auditee in such form and containing such particulars as may be prescribed, in two parts, namely –

(a) the Audit and Inspection Note dealing with the general and important matters which require particular attention, and

(b) the objection statement containing outstanding objections dealing with minor and technical irregularities.

(2) Copies of Audit and Inspection Note shall be sent to such officers and authorities as may be deemed considered necessary by the Director.

(3) The Director shall prepare or cause to be prepared a consolidated report of accounts and shall forward the same to the State Government every year, for being laid before the State Legislative Assembly.

Procedure to be followed after report of the Director under section 8

9. (1) On receipt of the report under section 8, the auditee shall take immediate action and record replies within one month against each point raised therein, showing the action taken or proposed to be taken thereon. Thereafter, the audit report along with the comments of the auditee shall be considered and decision taken in a special meeting of the auditee concerned to be held within three months from the date of receipt of the audit report.

(2) It shall be the responsibility of the auditee to see that the errors and irregularities pointed out in audit notes and objection statement are removed or settled promptly and with due respect.

(3) An annotated copy of the audit report alongwith the comments of the auditee and the decision of the auditee on each point shall be sent to the Director or the officer appointed by him within one month of the holding of the meeting referred to in sub-section (1). The annotated copy will show against each para the name or names of officials responsible for irregularities and the action taken or proposed to be taken against them. Further correspondence regarding the disposal of audit objection shall be conducted directly between the auditee and the Director or the officer authorised by him.

(4) On receipt of the annotated copy of the audit note along with the comments of the auditee and the decision of the auditee, the Director or the officer authorised by him in this behalf may, in respect of all or any of the matters dealt with in the report –

(a) accept the action taken by the auditee and settle the objection; or

(b) direct that the matter be further investigated at the next audit or at any earlier date; or

(c) hold that the defects or irregularities pointed out in the report or any of them have not been removed or remedied.

(5) (a) If it is held that any defect or irregularity in the accounts of the auditee, pointed out in the report, has not been removed or remedied within a reasonable time, the Director may specially bring the matter to the notice of the Prescribed Authority and the State Government may, subject to any law for the time being in force, direct any such action as may be considered necessary;

(b) For the purpose of establishing co-ordination in audit work, audit committees shall be constituted at the Chief Secretary, Administrative Department and Head of the Department level. The meeting of these committees shall be held regularly and audit reports received shall be reviewed. Special attention shall be given to the important matters like misappropriation of Government money, defalcation and fraud so that the guilty are timely punished;

(c) If the committee notices case of misappropriation of Government money in audit report, the matter shall be probed and the responsibility of the Government servant responsible shall be fixed. Efforts shall be made to recover the Government money immediately and Finance Department shall be informed of the action taken;

(d) The auditee shall keep a close watch on objections raised in audit and on the progress made in settlement of inspection reports. The auditee shall submit the required information in this regard immediately to the Administrative Department;

(e) Periodic meetings of departmental officers shall be called upon to dispose off the objections and the inspection reports of all audits under consideration and appraise the Administrative Department with the results.

Director to surcharge illegal payment or loss caused by gross negligence or misconduct

10. (1) If, after giving the person concerned a reasonable opportunity for showing cause, the Director is satisfied that the loss, waste or misappropriation of any money or property of the auditee, is a direct consequence of misconduct on the part of delinquent person, or gross neglect on his part, or that the said person being a party to making or authorising the making of the illegal payment, the Director, notwithstanding anything contained in law for the time being in force, may, by order in writing, direct such person to pay to the auditee before a specified date the amount together with interest thereon, as may be found just and equitable to reimburse the auditee for such loss, waste or misapplication of its money or property:

Provided that no order of surcharge shall be made under this Act against any auditee, member or servant of any auditee after the expiry of ten years from the concurrence of such loss, waste or misapplication of money or property or after expiry of six years from the date of his ceasing to be a auditee, member or servant of the auditee, whichever is later :

Provided further that in the case of loss, waste or misapplication of money or property occurring as a result of a resolution of an Auditee or, of any of its committees or sub-committees, the amount of the loss to be recovered shall be divided equally among all members including office bearers who are reported in minutes of the Auditee or of its committees or sub-committees as having voted for or who remained neutral in respect of such resolution :

Provided also that in case of superseded local bodies, Cooperative, Panchayat audit, if loss of waste or misapplication of money or property is due to any action of the Administrator or officer in charge who is a Government servant, the matter shall be reported by the Director to the State Government for necessary action :

Provided also further that the liability of a legal representative of a deceased delinquent person shall be to the extent of the property of the deceased, which has come to the hands of such legal representative.

(2) If the person to whom a copy of the decision is furnished under sub-section (1) refuses to receive it he shall be deemed to have duly received it on the day on which the copy was refused by him.

(3) If he is not available at the time of final order its gist along with the operative portion shall be sent to him at his last known address by registered post or shall be affixed at his last known residence and shall be proclaimed by beat of drum in the locality and this will give rise to a presumption of due service.

Appeal against order of surcharge

11. (1) Any person aggrieved by an order made under sub-section (1) of section 10 may within thirty days from the date of receipt of the order by him, prefer an appeal in the prescribed manner to the State Government.

(2) The State Government, while hearing an appeal preferred under sub-section (1), follow such procedure as may be prescribed.

(3) The order passed by the State Government, in the appeal shall be final.

Recovery of charges as arrears of land revenue

12. The sum stated in the order of surcharge under Section 10 or Section 11, as the case may be shall be paid by the person surcharged, within sixty days of the date of the order, and if not so paid, may, on the application of the director be recovered by the collector as arrears of land revenue and deposited in the fund of the auditee in the manner prescribed.

Payment of charges etc.

13. All expenses incurred by the Auditee Department in compliance with any requisition made by the auditor under sub-section (1) of section 6 or by the Auditor under sub-section (4) of section 6 shall be payable out of the funds of that auditee.

Director, Auditor etc. to be public servant

14. The Director and the officers and Auditors working under the Director and exercising or authorized to exercise posers under this Act or the Rules made thereunder shall be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

Bar of suits

15. Save as, provided in this Act, no suit or other proceedings shall be brought in any civil court to call in question any order lawfully made by any authority under this Act.

Protection for acts done in good faith

16. No suit, prosecution or other proceedings shall lie against the State Government, Director or any other officer, auditor or subordinate to the Director for anything done or purporting to have been done, in good faith, under this Act.

Inspections of records by the Auditor

17. (1) The State Government may, by notification, appoint such persons as it thinks fit to be audit officer, audit-in-charge, from amongst the officers appointed under section 3 for the purposes of this Act, and define the local limits of their jurisdiction.

(2) Subject to any rules made in this behalf, any officer may, within the local limits of his jurisdiction-

(a) enter at all reasonable hours, with such assistance, if any, or persons in the service of the Government or any local or other public authority as he thinks fit and as approved by the Director or the person authorized by him, any premises or place for the purpose of examining any register or record or papers in connection with the audit proceedings under the orders of the Director or the Auditor, or any other person in charge of the audit proceedings, and require the production thereof for inspection;

(b) interrogate any person on the spot to elicit information;

(c) seize or take copies or sign such record or papers as may be necessary to carry out the directions of his superior officers;

(d) exercise such other powers as may be prescribed.

Miscellaneous **18.** For the purpose of any examination or audit under this Act, the Director or the Auditor and for purpose of appeal, the appellate authority shall have the same powers as vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908), when trying a suit in respect of the following matters, namely- ,

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) issuing commissions :

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) require the documents to be revealed and submitted;

(e) any other matter which may be prescribed.

Savings **19.** **(1)** Any proceeding relating to surcharge, pending under any law for the time being in force immediately before the commencement of this Act, shall be disposed of, and any order passed in any such proceeding shall be enforced, in accordance with such law as if the provisions of this Act were not in force.

(2) Save as provided in sub-section (1), all proceedings relating to surcharge in respect of any local authority to which this Act applies, shall after the commencement of this Act, be taken and disposed of under this Act, notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force.

Power to make rules **20.** **(1)** The State Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all or on any of the following matters, namely-

(a) to regulate notification of the Auditee Department whose accounts to be audited by the Director;

(b) the rate of audit fee to be paid by the Auditee Department for audit of accounts under sub-section (3) of section 4 of the Act, and the mode of its payment and realization;

(c) the form and manner in which accounts shall be submitted for audit;

(d) the powers and duties of auditor and the procedure to be followed for conducting audit and the time and places at which such audit may be conducted;

(e) the powers and duties of the Director;

(f) enquiry, appeal and recovery in respect or surcharge;

(g) inspection of records by the auditors.

Repeal and saving

21. (1) The Uttar Pradesh Local Fund Audit Act, 1984 (Uttar Pradesh Act No. 12 of 1984) (to the context of State of Uttarakhand) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 42 विधायी/312–2012–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–108

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 08 जून, 2012 ई०

ज्येष्ठ 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 169/XXXVI(3)/2012/25(1)/2012

देहरादून, 08 जून, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012"** पर दिनांक 07 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05 वर्ष, 2012 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2012}

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 23 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, वर्ष 1975) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 23 की उपधारा (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(2) निगम के लेखे प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षित किये जायेंगे और ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय निगम द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा निगम के लेखों की लेखा परीक्षा करने के सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो किसी संगठन के लेखों की लेखा की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के होते हैं और विशिष्टतया, उसे बहियाँ, लेखे सम्बद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेजों और पत्रादि प्रस्तुत किये जाने की मांग करने तथा निगम के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निगम के लेखे तद्विषयक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।"

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 169/XXXVI(3)/2012/25(1)/2012
Dated Dehradun, June 08, 2012

Notification

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Forest Development Corporation (First Amendment) Act, 2012' (Adhiniyam Sankhya 05 of 2012).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 June, 2012.

THE UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION (FIRST AMENDMENT) ACT, 2012

[UTTARAKHAND ACT NO. 05 OF 2012]

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974, to the context of the State of Uttarakhand;

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-three Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Forest Development Corporation (First Amendment) Act, 2012

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 23

2. In section 23 of the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974 (as enforced in the state of Uttarakhand) for sub-section (2), (3) and (4), the following sub-sections shall be substituted; namely :-

"(2) The accounts of the Corporation shall be subject to audit annually by the Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him, and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Corporation to the Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him.

(3) The Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him in connection with the audit of accounts of the Corporation shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General of India has in connection with the audit of the accounts of an Organization and, in particular, shall have right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other document and papers and to inspect the office of the Corporation.

(4) The accounts of the Corporation as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him in that behalf together with the audit report thereof shall be forwarded annually to the State Government."

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 45 विधायी/315–2012–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–193 (क)

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 26 नवम्बर, 2012 ई०
अग्रहायण 05, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग

संख्या 495/XXVII(11)/2012
देहरादून, 26 नवम्बर, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2012) की धारा–4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संलग्न अनुसूची में दिये गये विभागों, सार्वजनिक निगमों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य इकाइयों की लेखा परीक्षा कराये जाने के लिये उन्हें आडिटी निर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 लागू होने की तिथि दिनांक 08 जून, 2012 से प्रभावी मानी जायेगी।

अनुसूची

(अधिसूचना सं0: 495 / XXVII (11)/2012 दिनांक 26 नवम्बर 2012)

1.विभागों / विभागाध्यक्षों की सूची

क्र.सं	विभाग / विभागाध्यक्ष
1	समस्त प्रमुख सचिव और सचिव
2	उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्/मुख्य राजस्व आयुक्त
3	उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल
4	मंडलायुक्त पौड़ी एवं नैनीताल उत्तराखण्ड
5	प्रमुख वन संरक्षक
6	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
7	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग
8	निदेशक, शिक्षा (उच्च शिक्षा)
9	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
10	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन
11	महानिदेशक, पुलिस
12	पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल और कुमाऊं
13	कारागार महानिरीक्षक
14	निदेशक, कृषि
15	निदेशक, उद्योग
16	आबकारी आयुक्त
17	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां
18	निदेशक, पशुपालन
19	अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग
20	महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल
21	गन्ना आयुक्त
22	श्रम आयुक्त
23	परिवहन आयुक्त
24	निदेशक, पंचायती राज
25	निदेशक, प्रशिक्षण और रोजगार
26	निदेशक, कला एवं सांस्कृतिक कार्य
27	अध्यक्ष, औद्योगिक ट्रिब्यूनल
28	मुख्य निर्वाचन अधिकारी
29	निदेशक, तकनीकी शिक्षा
30	निदेशक, समाज कल्याण
31	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
32	निदेशक, आयुर्वेद और यूनानी सेवा
33	निदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर
34	अध्यक्ष एवं सदस्य, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल
35	निदेशक, सतर्कता

	विभाग / विभागाध्यक्ष
36	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग
37	नियंत्रक, बाट और माप
38	आयुक्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति
39	आयुक्त, ग्राम्य विकास
40	निदेशक, मत्स्यपालन
41	महानिदेशक, प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल
42	राहत आयुक्त
43	आयुक्त, कर, आईजी स्टाम्प एवं पंजीकरण
44	निदेशक, कोषागार, वित्तीय सेवायें, स्टेट इंटरनल आडीटर
45	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई
46	कमांडैंट जनरल, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा
47	निदेशक, भूविज्ञान और खनन
48	राज्य सम्पादक, जिला गजटीयर्स
49	महानिदेशक, पर्यटन
50	मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
51	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री
52	निदेशक, सैनिक कल्याण और पुनर्वास
53	खेल निदेशक
54	प्राचार्य, [redacted] मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर तथा अन्य मेडिकल कॉलेज
55	रजिस्ट्रार, फर्म, सोसाईटी और चिट
56	अध्यक्ष, व्यापार कर न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)
57	लोक आयुक्त
58	निदेशक, होम्योपैथी
59	निदेशक, बजट, राजकोषीय योजना और संसाधन
60	निदेशक, लेखा एवं हकदारी
61	निदेशक, रेशमकीट
62	निदेशक, अभियोजन
63	निदेशक, शहरी विकास
64	निदेशक, नागरिक उड्डयन
65	सचिव, राज्य योजना आयोग
66	निदेशक, युवा कल्याण और पीआरडी, देहरादून
67	अध्यक्ष, ट्रिब्यूनल सहकारी समितियां, देहरादून
68	कार्यपालक, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून
69	अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीली न्यायाधिकरण (अपीलेट ट्रिब्यूनल), देहरादून
70	निदेशक, आईसीडीएस, देहरादून
71	अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग देहरादून
72	सचिव, राज्य वित्त आयोग
73	अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग देहरादून

क्र.सं	विभाग / विभागाध्यक्ष
74	निदेशक, डेरी विकास हल्द्वानी
75	निदेशक, स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संगठन
76	निदेशक, जलागम प्रबंध देहरादून
77	मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखंड
78	निदेशक, जनजातिय कल्याण
79	निदेशक, उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी, नैनीताल
80	मुख्य प्रशासक, नैनीताल
81	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण
82	भेषज विकास ईकाई, देहरादून

2. निगमों / विश्वविद्यालयों / संस्थाओं / योजनाओं की सूची

क	निगम
1	उत्तराखंड अवस्थापना विकास निगम
2	गढ़वाल मंडल विकास निगम
3	कुमाऊं मंडल विकास निगम
4	वन विकास निगम
5	उत्तराखंड बहु–उद्देश्य वित्त और विकास निगम
6	हिल्ट्रॉन
7	उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम
8	उत्तराखंड बीज और तराई विकास निगम
9	उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
10	उत्तराखंड पूर्व–सैनिक कल्याण निगम
11	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन
12	उत्तराखंड परिवहन निगम
13	उत्तराखंड जल विद्युत निगम
14	उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल)
15	पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखंड लि0
ख	**विश्वविद्यालय**
1	उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून
2	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
3	उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
4	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल
5	दून विश्वविद्यालय, देहरादून
6	जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्विद्यालय, पंतनगर
7	उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार
8	उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून
9	श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, टिहरी

ग	संस्थायें
1	स्वजल
2	महिला डेयरी विकास योजना
3	सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी
4	आपदा न्यूनीकरण तथा प्रबंधन केंद्र
5	जीबी पंत इंजीनियरिंग कालेज, पौड़ी
6	इंजीनियरिंग कालेज, द्वारहाट, अल्मोड़ा
7	मंडी परिषद, रूद्रपुर
8	उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार
9	हरिद्वार विकास प्राधिकरण
10	मसूरी एवं देहरादून विकास प्राधिकरण
11	झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल
12	भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण
13	दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून
14	होटल प्रबंधन तथा केटरिंग संस्थान, देहरादून
15	मेडिकल कालेज, श्रीनगर
16	मेडिकल कालेज, हल्द्वानी
17	पर्यटन विकास परिषद्
18	उत्तराखंड स्कूल शिक्षा परिषद्
19	उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद्
20	उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
21	राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
22	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
23	उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड
24	भेड़ एवं ऊन विकारा परिषद्
25	उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड
26	उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
27	जल संस्थान
28	उत्तराखंड अक्षय उर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)देहरादून
29	उत्तराखंड राज्य मत्स्य पालक अभिकरण
30	उत्तराखंड राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण

3. स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं की सूची

क्र सं	स्थानीय निकायें /स्वायत्तशासी संस्थायें
1	समस्त नगर निगम
2	समस्त नगर पालिका
3	समस्त नगर पंचायत
4	समस्त विकास प्राधिकरण

5	समस्त विश्वविद्यालय
6	समस्त डिग्री कॉलेज
7	समस्त इंटर कालेज
8	समस्त हायर सेकेंडरी स्कूल
9	समस्त जूनियर हाई स्कूल
10	समस्त कृषि उत्पादन और मंडी समिति
11	समस्त न्यास
12	उत्तराखंड चाय बोर्ड
13	समस्त प्राथमिक शिक्षा समितियां
14	समस्त पेंशन निधि
15	समस्त राष्ट्रीय सेवा योजना
16	उत्तराखंड गन्ना अनुसंधान
17	समस्त संस्कृत महाविद्यालय

4- सहकारी संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	सहकारी संस्थाएं और पंचायती राज संस्थाएं
1	उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, हल्द्वानी, नैनीताल
2	उत्तराखंड सहकारी संघ लि., प्रेम नगर, देहरादून
3	उत्तराखंड राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड
4	समस्त जिला सहकारी बैंक लिमिटेड
5	समस्त अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
6	समस्त जिला सहकारी विकास संघ लिमिटेड
7	समस्त जिला भेषजविकास संघ लिमिटेड
8	समस्त थोक/केंद्रीय उपभोक्ता भंडार लिमिटेड
9	समस्त क्रय विक्रय सहकारी समितियां
10	समस्त सहकारी विकास/ब्लॉक संघ लिमिटेड
11	समस्त सहकारी बीज/पूर्ति भंडार
12	समस्त किसान सेवा/लैम्प/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां
13	समस्त कृषि सहकारी समितियां
14	समस्त सहकारी उपभोक्ता भंडार
15	समस्त श्रम संविदा/वेतन भोगी/विशिष्ट सहकारी समितियां
16	समस्त जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड
17	समस्त सहकारी दुग्ध समितियां
18	समस्त सहकारी चीनी मिलें
19	समस्त सहकारी गन्ना समितियां
20	समस्त सहकारी आवास संघ/समितियां
21	समस्त बुनकर/खादी/रेशम/उद्योग/सहकारी समितियां
22	समस्त सहकारी मत्स्य समितियां
23	समस्त जिला पंचायतें
24	समस्त वैयक्तिक लेखा (पीएलए)

क्र सं	सहकारी संस्थायें और पंचायती राज संस्थायें
25	समस्त क्षेत्र पंचायत
26	समस्त पंचायत उद्योग
27	समस्त ग्राम पंचायतें

5. अन्य इकाईयों की सूची

क्रम सं0	अन्य इकाईयां
1	नव सृजित विभाग/निगम/विश्वविद्यालय/प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/सहकारी संस्था/ पंचायत/सोसाइटी/संगठन।
2	सोसाइटी जिनका प्रबन्धन/नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
3	सोसाइटी जो केन्द्र/राज्य से वित्त पोषित है।
4	समस्त अन्य संस्थायें जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है।
5	समस्त अन्य सरकारी/गैर सरकारी संगठन जो राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान, ऋण, सहायिकी या किसी प्रकार की वित्तीय सहायता, पूर्णतः या अंशतः प्राप्त करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 495/XXVII(11)/2012, Dehradun, dated November 26, 2012 for general information:

No. 495/XXVII(11)/2012

Dated Dehradun, November 26, 2012

Notification

In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Uttarakhand Audit Act, 2012 (Uttrakhand Audit No.02 of Year 2012) ,the Governor is pleased to specify the Departments, Public Corporations, Universities, Institutions, Local Bodies, Autonomous Institutions, Cooperative Institutions, Panchayati Raj Institutions and other units, mentioned in the schedule enclosed, as Auditee, accounts of which are to be audited.

2. This notification shall deem to be effective from 08 June 2012, *i.e.* the date, Uttarakhand Audit Act, 2012 came into force.

SCHEDULE

(Notification No. 495/XXVII (11)/2012 Dated : 26th NOVEMBER 2012)

1. List of Head of Departments/Head of Department

S No.	[illegible]
1	All Principal Secretaries and Secretaries
2	Uttarakhand Board of Revenue/Chief Revenue Commissioner
3	Uttarakhand High Court, Nanital
4	Commissioners of Divisions Pauri & Nainital
5	Principal Conservator of Forests
6	Chief Engineer, Public Works Department
7	Chief Engineer, Irrigation Department
8	Director of Education (Higher Education)
9	Director of Secondary Education
10	Director of Medical Health Services and Family Planning
11	Director General of Police
12	Inspector General of Police, Garhwal and Kumaon
13	Inspector General of Prisons
14	Director, Agriculture
15	Director, Industries
16	Excise Commissioner
17	Registrar, Co-operative Societies
18	Director, Animal Husbandry
19	Chairman, Public Service Commission
20	Advocate General, Honourable High Court, Nainital
21	Cane Commissioner
22	Labour Commissioner
23	Transport Commissioner
24	Director, Panchayati Raj
25	Director, Training and Employment
26	Director, Art & Cultural Affairs
27	Presiding Officer, Industrial Tribunal

S.No.	[illegible]
28	Chief Electoral Officer
29	Director, Technical Education
30	Director, Samaj Kalyan
31	Director, Horticulture and Food Processing
32	Director, Ayurvedic and Unani Sewa
33	Director, National Cadet Corps
34	Chairman and Member, Administrative Tribunal
35	Director, Vigilance
36	Chairman, Minorities Commission
37	Controller, Weights and Measures
38	Commissioner, Food and Civil Supplies
39	Commissioner, Rural Development
40	Director, Fisheries
41	Director General, Academy of Administration, Nainital
42	Relief Commissioner
43	Commissioner, Tax, IG Stamps & Registration
44	Director, Treasuries, Financial Services and State Internal Auditor
45	Chief Engineer, Minor Irrigation
46	Commandant General, Home Guards and Civil Defence
47	Director, Geology and Mining
48	State Editor, District Gazetteers
49	Director General of Tourism
50	Chief Engineer, Rural Engineering Services
51	Director, Printing and Stationery
52	Director, Sainik Kalayan and Rehabilitation
53	Director, Sports
54	Principal, [redacted] Medical College, Srinagar and Other Medical Colleges
55	Registrar, Firms, Societies and Chits
56	Chairman, Trade Tax Tribunal
57	Lok Ayukta
58	Director, Homeopathic

59	Director, Budget, Fiscal Planning and Resources
60	Director, Accounts and Entitlement
61	Director, Sericulture
62	Director, Prosecution
63	Director, Urban Development
64	Director, Civil Aviation
65	Secretary, State Planning Commission
66	Director, Youth Welfare and PRD, Dehradun
67	Chairman, Tribunal Cooperative Societies, Dehradun
68	Karyapalak, State Legal Service Corporation, Dehradun
69	Chairman, State Transport Appellate Tribunal, Dehradun
70	Director, ICDS Dehradun
71	Chairman, State Women Commission, Dehradun
72	Secretary, State Finance Commission
73	Chairman, Other Backward Classes Commission, Dehradun
74	Director, Dairy Development , Haldwani
75	Director, Freedom Fighter Welfare Organization
76	Director, Jalagam Prabandh, Dehradun
77	Resident Commissioner, Uttarakhand
78	Director, Tribal Welfare
79	Director, Uttarakhand Nyayik and Vidhik Academy
80	Chief Administrator, Nainital
81	Director, Minorities Welfare
82	Bhaisaj Vikas Ekai, Dehradun

2. List of Corporations/Universities/Institutions/Schemes

1	Uttarakhand Avasthapana Development Corporation
2	Garhwal Mandal Development Corporation
3	Kumaon Mandal Development Corporation
4	Forest Development Corporation

11	Lake Development Authority, Nainital
12	Bhagirathi River Valley Development Authority
13	Doon Valley Special Area Development Authority, Dehradun
14	Hotel Management and Catering Institute , Dehradun
15	Medical College Srinagar
16	Medical College, Haldwani
17	Tourism Development Parishad
18	Uttarakhand School Education Parishad
19	Uttarakhand Pravedhic Education Parishad
20	Uttarakhand Science and Technology Parishad
21	State Educational Anusandhan and Training Parishad
22	Khadi Gramodyog Board
23	Uttarakhand Tea Development Board
24	Sheep and Wool Development Parishad
25	Uttarakhand Live Stock Development Board
26	Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board
27	Jal Sansthan
28	Uttarakhand Akshay Urja Vikas Abhikaran (UREDA)
29	Uttarakhand Rajya Matsya Palak Abhikaran
30	Uttarakhand Rajya Beej Praminikaran Abhikaran

3. List of Local Bodies/Autonomous Institutions

1.	Nagar nigam
2.	Nagar palika
3.	Nagar panchyat
4.	Development authority
5.	University
6.	Degree College
7.	Inter College
8.	Higher secondary school
9	Junior high school

10	Agricultural Production and Marketing Committee
11	Trust
12	Uttarakhand Tea Board
13	Uttarakhand Forest Corporation
14	Basic Education Samitis
15	Pension Nidhi
16	Rashtriya Sewa Yojna
17	Uttarakand Sugarcane Research and Development Fund
18	Sanskrit Colleges

4. List of Cooperative Institutions and Panchayati Raj Institutions

1	Uttaranchal Rajya Sahkari Bank Limited , Haldwani, Nainital
2	Uttaranchal Cooperative Federation Limited, Prem Nagar, Dehradun
3	Uttaranchal Rajya Sahkari Vipnan Sangh Limited
4	Zila Sahkari Bank Limited
5	Urban Cooperative Bank Limited
6	Zila Sahkari Vikas Sangh Limited
7	Zila Bheshaj Vikas Sangh Limited
8	Thok/Kendriya Upbhokta Bhandar Limited
9	Kray Vikray Sahkari Samitiyan
10	Sahkari Vikas/Block Sangh Limited
11	Sahkari Beej/Poorti Bhandar
12	Kisaan Sewa/ Lamps/Madhyakar/Sadhan Sahkari Samitiyan
13	Krishi Sahkari Samitiyan
14	Sahkari Upbhokta Bhandar
15	Shram Samvida/ Vetan Bhogi/ Vishisht Sahkari Samitiyan
16	Zila Sahkari Dughd Utpadak Sangh Limited
17	Sahkari Dughdh Samitiyan

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या:–111 /xxvii(6)/2012
देहरादून: दिनांक: 30 मार्च, 2012

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर अधिकारियों को एन.आई.एफ.एम. फरीदाबाद में वित्तीय प्रबन्धन में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा हेतु के लिए नामित किया जाता है। भविष्य में उक्त डिप्लोमा हेतु निम्नलिखित मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों का पालन करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारी का नामांकन/आवेदन–पत्र अग्रसारित किया जायेगा :–

1. केवल ऐसे सरकारी अधिकारियों के आवेदन–पत्र अग्रसारित किए जायेंगे, जो 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि से सेवारत हों।
2. ऐसे सरकारी अधिकारियों के नामांकन अग्रसारित नहीं किये जायेंगे जिनके विरूद्ध सतर्कता जाँच/प्रशासनाधिकरण जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित हो अथवा, जिसे प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया जा चुका हो। ऐसे सरकारी सेवकों के भी नाम संस्तुत नहीं किये जायेंगे, जिनके सम्पूर्ण सेवाभिलेख निम्न स्तर के रहे हों, अथवा जिन्हें गम्भीर प्रकृति की प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है।
3. इस कोर्स के लिये उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा सेवा तथा नियोजन विभाग के अधिकारियों को प्रथम वरीयता दी जायेगी। कोर्स हेतु सीट की उपलब्धता के आधार पर अन्य विभागों के अधिकारियों के नामांकन पर तभी विचार किया जाएगा, जब उक्त सरकारी सेवक द्वारा लिये गये प्रशिक्षण की उपयोगिता उस विभाग को मिलने की संभावना हो।
4. सम्बन्धित अधिकारी को पी.जी.डी.एम. कोर्स में जाने से पूर्व इस आशय का बाण्ड निष्पादित करना होगा कि कोर्स पूर्ण करने के बाद न्यूनतम 5 वर्ष तक राज्य सरकार में सेवा करेंगे तथा इस अवधि से पहले राजकीय सेवा छोड़ने पर कोर्स के समस्त व्यय का भुगतान करना होगा।

(आलोक कुमार जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:– /XXVII(6)/2012 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

18	Sahkari Chini Milen
19	Sahkari Ganna Samitiyan
20	Sahkari Awaas Sangh/ Samitiyan
21	Bunkar/ Khadi/Resham/Udhyog/ Sahkari Samitiyan
22	Sahkari Matasaya Samitiyan
23	Zila Panchayaten
24	Vyaytik Lekha (PLA)
25	Kshetra Panchayat
26	Panchayat Udhyog
27	Gram Panchayaten

5. List of Other Units

1	Newly created Department/ Corporation/ University/ Authority/ Local Body/ Cooperative Institution/Panchayat/Society/Organization.
2	Society which is being managed/ controlled by the State Government.
3	Society which is Financed by the Central/ State Government.
4	All other Institutions securing Grants from the State Government.
5	All other Government/ Non Government Organization securing Grant-In-Aid, Loan, Subsidy or any kind of Financial Assistance, fully or partly from Consolidated Fund of the State.

By Order,

RADHA RATURI,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 48 वित्त / 732–2012–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।